

रिपोर्ट पटवारी हल्का तिलस्वा

महोदय जी, निवेदन है कि उक्त आर्चन राज की दायिबापत रिपोर्ट व दस्तावेजों एवं नोटाकरणों से सूचनाएं मिलने पर पाया कि प्राचीन का नाम सुमन पति बालु की पत्नी सुमन पति स्व. बाबु सुई स्थित बना उचित होगा। अतः रिपोर्ट प्रमाण की सेवा में देना है।

रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक वृत्त कास्य


18/12/25
पटवारी तिलस्वा

महोदय जी,

यूनाइटेड रिपोर्ट पटवारी के द्वारा उक्त व प्राचीन का नाम

सुमन पति बालु नै नया सुमन पति बालु सुई स्थित बना

उचित है


19/12/25

रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां


क्रमांक राजस्व/केम्प/25/21

दिनांक-19/12/25

महोदय जी

निवेदन है कि रिपोर्ट पं. 80 तिलस्वा व जांच के अन्तर्गत कक्षा वसतमान दस्तावेजों के आधार पर जमावदी धारा 114 में सुमन पति बालु के स्थान पर सुमन पति स्व. बाबु सुई करने की अभिशपथ की जाती है।

आदेश


तहसीलदार
केम्प कास्य

तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

पटवारी तिलस्वा
रिपोर्ट के आधार पर

प्राचीन स्वयं के प्राचीन पत्र, संलग्न दस्तावेजों, सुमन पति बालु के स्थान पर सुमन पति स्व. बाबु सुई करने के आदेश पारित किए जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी

राजिंदर प्रसाद तिलस्वा
भू अति. तिलस्वा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया
 (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2025 कैम्प कोर्ट)
 राजस्थान सरकार
 कैम्प कोर्ट का स्थान कार्त्या

—आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी निलरवा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलिया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-र अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निलरवा तहसील बिजौलिया जिला बीकानेर की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 में खाता संख्या 174 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>निलरवा</u>	174	<u>सुमन पान्न</u> <u>रत्न बालु</u>	<u>सुमन पान्न</u> <u>रत्न बालु</u>



(अजीत सिंह राठौड़)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा.कलक्टर, बिजौलिया

क्रमांक :- 23/25

दिनांक :- 19/12/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, बिजौलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सुमन पान्न रत्न बालु
3. रक्षित पत्रावली।

(अजीत सिंह राठौड़)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा.कलक्टर, बिजौलिया



anglal.ilr@gmail.com, viral9099@gmail.com

Revenue Raicathan A...